न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी रायपुर,भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती करूणा लाड़ोती, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन नम्बर :– 25 / 2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025 / 124

अनवान

1. अबरार अहमद पिता मोहम्मद रफीक रंगरेज निवासी बोराणा तहसील रायपुर जि.भीलवाड़ा
2. इकबाल हुसैन पिता अजीज मोहम्मद रंगरेज निवासी बोराणा तहसील रायपुर
3. उस्मान गनी पिता अजीज मोहम्मद रंगरेज निवासी बोराणा तहसील रायपुर जि. भीलवाड़ा
4. जेतुन बानु पत्नि अजीज मोहम्मद रंगरेज निवासी बोराणा तहसील रायपुर जि. भीलवाड़ा
5. जेनब बानु पुत्री अजीज मोहम्मद रंगरेज निवासी बोराणा तहसील रायपुर जि. भीलवाड़ा
6. जाकिर हुसैन पिता अजीज मोहम्मद रंगरेज निवासी बोराणा तहसील रायपुर जि.भीलवाड़ा
7. मेहरूनिशा पत्नि मोहम्मद रफीक रंगरेज निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. फाफिया बानु पुत्री अजीज मोहम्मद रंगरेज निवासी बोराणा तहसील रायपुर जि. भीलवाड़ा
9. रउफ अहमद पिता मोहम्मद रफीक रंगरेज निवासी बोराणा तहसील रायपुर जि. भीलवाड़ा
10. रेहाना बानु पुत्री मोहम्मद रफीक रंगरेज निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11. राबिया बानु पुत्री अजीज मोहम्मद रंगरेज निवासी बोराणा तहसील रायपुर जि. भीलवाड़ा
12. सायना बानु पुत्री मोहम्मद रफीक रंगरेज निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. हनीफ मोहम्मद पिता अहमद रंगरेज निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. कुतबुद्दीन पिता अहमद रंगरेज निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. खाजु मोहम्मद पिता अहमद रंगरेज निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. युसुफ मोहम्मद पिता दाउद रंगरेज निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. सलीम मोहम्मद पिता मोहम्मद रंगरेज निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. नारायण पिता मांगु गुर्जर निवासी गुर्जरोकाखेड़ा (बोराणा) तहसील रायपुर जि. भीलवाड़ा
7. कजोड़ पिता तुलछा रेगर निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. गंगाराम पिता धीसा रेगर निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. सुखा पिता जगु गुर्जर निवासी गुर्जरोकाखेड़ा (बोराणा) तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
(वास्ते–विवादित भूमि की पत्थरगढ़ी करने बाबत्)

सहायक कलक्टर

उपस्थित

1. जकिर हुसैन रंगरेज – प्रार्थीगण अधिवक्ता
2. विपक्षी संख्या 1 लगायत 5, 8 एकपक्षीय

निर्णय

दिनांकः–10.06.2025

1. संक्षिप्त मे आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम बोराणा पटवार हल्का बोराणा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों की कृषि आराजियात खाता संख्या 3 में अंकित आराजी संख्या 1859 रकबा 0.26 है0, आराजी संख्या 1860 रकबा 0.28 है0, आराजी संख्या 1862 रकबा 0.04 है0, आराजी संख्या 1865 रकबा 0.07 है0, आराजी संख्या 1872 रकबा 0.11 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 0.76 है0 भूमि स्थित हैं। प्रमाण में नकल जमाबंदी मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की हैं। प्रार्थीगण की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नही होने से प्रार्थीगण को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने में दरम्यान पक्षकारान आपस मे सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है जिससे प्रार्थीगण को अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना आवश्यक हो गया है। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को कई मर्तबा को उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी कराने बाबत् कहा लेकिन विपक्षीगण हरबार टालमबाजी का जवाब देते है। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को अन्तिम बार दिनांक 25.04.2025 को कहा लेकिन विपक्षीगण इन्कार हो गये, जिससे प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है। अतः प्रार्थीगण द्वारा उक्त वर्णित आराजियात की पत्थरगढ़ी कराये जाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।
2. प्रार्थीगण के आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। बावजूद सम्यक् तामील विपक्षी संख्या 1 लगायत 5, 8 को पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही दिनांक 10.06.2025 को अमल में लाई गई एवं विपक्षी संख्या 7 उपस्थित होकर पत्थरगढ़ी करने में सहमति व्यक्त की गई तथा विपक्षी संख्या 6, 9 के विरूद्व प्रार्थीगण अधिवक्ता कोई कार्यवाही नही चाहते है।
3. प्रार्थीगण अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि ग्राम बोराणा पटवार हल्का बोराणा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों की कृषि आराजियात खाता संख्या 3 में अंकित आराजी संख्या 1859 रकबा 0.26 है0, आराजी संख्या 1860 रकबा 0.28 है0, आराजी संख्या 1862 रकबा 0.04 है0, आराजी संख्या 1865 रकबा 0.07 है0, आराजी संख्या 1872 रकबा 0.11 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 0.76 है0

सहायक कलेक्टर

भूमि स्थित हैं। प्रमाण में नकल जमाबंदी मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की हैं। प्रार्थीगण की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नही होने से प्रार्थीगण को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने में दरम्यान पक्षकारान आपस मे सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है, जिससे प्रार्थीगण को अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराने हेतु आवेदन स्वीकार किया जाए।

4. न्यायालय ने विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड व संलग्न दस्तावेजात का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यो का विवेचन किया। जिससे स्पष्ट है कि ग्राम बोराणा पटवार हल्का बोराणा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों की कृषि आराजियात खाता संख्या 3 में अंकित आराजी संख्या 1859 रकबा 0.26 है0, आराजी संख्या 1860 रकबा 0.28 है0, आराजी संख्या 1862 रकबा 0.04 है0, आराजी संख्या 1865 रकबा 0.07 है0, आराजी संख्या 1872 रकबा 0.11 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 0.76 है0 भूमि स्थित हैं, प्रमाण में नकल जमाबंदी मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की हैं, जो पत्रावली में संलग्न विवादित भूमि की जमाबन्दी संवत 2076–2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है, इस प्रकार प्रार्थीगण संलग्न विवादित भूमि के अभिलिखित खातेदार है, और अभिलिखित खातेदार अपनी भूमि की पत्थरगढ़ी करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिसके प्रार्थीगण हकदार प्रतीत होते है।

5. हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का उल्लेख करना उचित समझते है, जिसके अनुसार :–

धारा 111 सीमाओं के सम्बन्ध में विवादों का निपटारा–सम्बन्धी समस्त विवाद भू–अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से किए जायेगें:

(1) किन्ही सीमाओं से सम्बधित किसी विवाद की स्थिति में भू–अभिलेचा अधिकारी जहां तक संम्भव हो वर्तमान सर्वेक्षण मानचित्रों के आधार पर और यह सम्भव न हो अथवा ऐसे मानचित्र उपलब्ध न हो तो वास्तविक कब्जे के आधार पर ऐसे विवाद का निर्णय करेगा।

(2) यदि इस धारा के अन्तर्गत किसी विवाद की जांच के दौरान भू–अभिलेख अधिकारी अपने आपको इस प्रकार संन्तुष्ट नही कर सके कि किस पक्ष का कब्जा है अथवा यह बतलाया जाये कि जांच के प्रारूप होने से पूर्व के तीन माय के अन्दर विधि संगत अधिवासियों को अवैधानिक रूप से बेदखल कर कबजा प्राप्त किया गया है तो भू–प्रबन्ध अधिकारी सरसरी जांच द्वारा निश्चय करेगा कि कौन–सा पक्ष कब्जा पाने का सर्वोत्तम अधिकारी है और तदनुसार सीमा निर्धारित करेगा।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) रायपुर

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है, कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादो का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। हस्तगत प्रकरण में पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य सबूत उपलब्ध नही है, जिससे साबित होता हो कि प्रकरण में प्रश्नगत भूमि की सीमाओं को लेकर कोई विवाद हों, अतः हस्तगत प्रकरण में हम प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि के सीमाज्ञान बाबत् तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पत्र/आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करना उचित समझते है।

6. उपर्युक्त विवेचन के उपरान्त न्यायालय इस निष्कर्ष पर पंहुँचा है कि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवानें हेतु तहसीलदार रायपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आवेदन करने का हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन आशिंक स्वीकार किया जाना न्यायासंगत एवं उचित प्रतीत होता है।

—: आदेश :—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में आवेदन—पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 111 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थीगण द्वारा सीमाज्ञान हेतु आवेदन पेश करने पर ग्राम बोराणा पटवार हल्का बोराणा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों की कृषि आराजियात खाता संख्या 3 में अंकित आराजी संख्या 1859 रकबा 0.26 है0, आराजी संख्या 1860 रकबा 0.28 है0, आराजी संख्या 1862 रकबा 0.04 है0, आराजी संख्या 1865 रकबा 0.07 है0, आराजी संख्या 1872 रकबा 0.11 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 0.76 है0 भूमि की पैमाईश करते हुए विधिनुसार कार्यवाही करने हेतु तहसीलदार रायपुर को निर्देशित किया जाता है। वक्त कार्यवाही सम्बंधित खातेदारो के मौके कब्जे में किसी प्रकार का परिवर्तन नही किया जाए तथा स्थगन होने की दशा में स्थगन की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जाए। प्रकरण में प्रश्नगत आराजी की सीमाओं में विवाद होने की दशा में मौका फर्द में इसका अंकन किया जाकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली इसी कदर निर्णीत होकर संख्या से एक कम होकर दाखिला दफ्तर हों।

(करूणा लाड़ोती)
उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा

आदेश आज दिनांक 10.06.2025 को सर—ए—इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा